सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE AZAMGARH RANGE

जनपद-आजमगढ/मऊ प्रेस-विज्ञप्ति **दिनांक 06.02.2024**

जनपद –आजमगढ़

01- प्रदेश स्तर पर चिन्हित IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी व जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्रीशीटर शाहजमां उर्फ नैयर निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह आजगमढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय की गयी बाराबंकी में स्थित लगभग आधा हेक्टेयर जमीन (सर्किल रेट- 28 लाख रूपये व मार्केट रेट 01 करोड़ रूपयें) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क ।

जनपद में माफिया तत्वों व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी व जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्रीशीटर शाहजमां उर्फ नैयर निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह आजगमढ़ की जनपद बाराबंकी में स्थित लगभग आधा हेक्टेयर की कुल 03 भूखण्डों को 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी आजमगढ़ से आदेश प्राप्त कर दिनांक-04.02.2024 को थाना प्रभारी मेंहनाजपुर द्वारा बाराबंकी पुलिस के सहयोग से कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी तीनों भूखण्डों की सर्किल रेट 28 लाख रूपये है तथा मार्केट वैल्यू लगभग 01 करोड़ रूपये है।

इस प्रकार विगत 03 दिवस के अन्दर मुख्तार अंसारी के सहयोगियों की जनपद लखनऊ व बाराबंकी में स्थित कुल 1.5 हेक्टेयर की 04 भूखण्डों को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी कुल भूखण्डों की सर्किल रेट 01 करोड़ 52 लाख रूपये है तथा मार्केट वैल्यू लगभग 04 करोड़ रूपये है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित अन्य सम्पत्तियों की जानकारी की जा रही है। संगठित अपराध एवं माफिया तत्वों की अपराध से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क कर कमर तोड़ने की कार्यवाही अभियान के तौर पर जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अनवरत जारी रहेंगी।

02. चोरी के सामान व अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादी मुकदमा बलधारी यादव S/0 श्री सन्नू यादव R/O मोहम्मदपुर नियामतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की साउण्ड सर्विस की दुकान है। कस्बा मेंहनगर मे निरंजन कुटी के पास स्थित है दिनाक 20.12.23 को निरंजन कुटी प्रांगण से मेरी एम्पलीफायर मशीन (SSA250m) आहुजा लगाकर रामकथा का कार्यक्रम चल रहा था अज्ञात द्वारा मशीन चोरी कर लिया तथा निरंजन कुटी की भी एक एम्पलीफायर मशीन दिनाक 21.01.24 को चोरी हो गयी। जब एम्पलीफायर मशीन का काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नही चला, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ । दौरान विवेचना अभियुक्त अम्बुज शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा साकिन गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के पास से उक्त चोरी का सामान बरामद हुआ

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक- 04.02.24 को उ0 नि0 सुर्यप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अम्बुज शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी गहुंनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम गहुंनी से चोरी गये एम्प्लीफायर मशीन (1) AHUJA-55A-250M, (2) PRO-TEQ-55A-150M, तथा अवैध 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ समय 21.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

जनपद –मऊ

01 - कोरियर कंपनी खोलकर लोगो के सामान पहुचाने के नाम पर सामान और रूपये हड़पने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे 20 लाख रुपये कीमती सामान व 68 हजार रूपये बरामद ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली/क्राइम ब्रान्च को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत **मु0अ0सं0 418/2023** धारा **420,406,467** भादवि में वांछित अभियुक्त गोपालचन्द्र बरीक पुत्र कार्तिक बरीक निवासी बलियापाल हाशिमपुर उड़ीसा, हाल पता बिग ब्वायज पैकर्स एण्ड मूवर्स **12** लोकेश रेड्डी सदर बंगला मेन रोड ओडी गली सदर मंगला बस स्टाफ बैंगलोर कर्नाटका को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कोरियर कंपनी खोलकर लोगो के सामान पहुचाने के नाम पर हड़पा हुआ विभिन्न सामान (**20** लाख रुपये कीमती) तथा ट्रान्सपोर्ट के नाम पर लिये गये **68** हजार रूपये बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि, दिनांक **24.11.2023** को थाना कोतवाली नगर में वादी संजीव कुमार सिंह निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गयी कि इनके भाई बैंगलोर में सपरिवार रहकर एक कम्पनी में नौकरी करते है, जिनका ट्रांसफर कनाडा में हो गया गया, उनके द्वारा एक कोरियर कम्पनी के माध्यय से घर का सारा सामान कीमत लगभग **20** लाख तथा **68** हजार रूपये किराया देकर अपने घर मऊ भेजा गया है लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी उक्त कोरियर कम्पनी द्वारा न ही सामान पहुचाया गया नही कोई सूचना दी जा रही है। कोरियर कम्पनी द्वारा सामान पहुचाने के नाम पर विभिन्न प्रकार के बहाने बनाये जा रहे है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण की विवेचना निरीक्षक सौरभ कुमार राय क्राइम ब्रांच को दी गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा बैगलोर पंहुच कर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त कोरियर कम्पनी नाम बिग ब्वायज पैकर्स एण्ड मूवर्स, गोपाल नाम का व्यक्ति चलाता है तथा इस समय सब कुछ बन्द कर सामान और रूपये हडप कर ओडिसा भाग गया है तत्पश्चता वही से पुलिस टीम ओडिसा पहुच कर उसको नियमानुशार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सारा सामान तथा ट्रांसपोर्ट के नाम पर लिये गये **68** हजार रूपये बरामद किया गया। इस दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा दिल्ली, बैगलोर और ओडिसा से भी सामान पहुचाने के नाम पर कई लोगो के रूपये व सामान हड़प लिया गया है ऐसे भी कई लोगो से सम्पर्क किया गया है तथा उनके सामान व रूपयों को भी दिलवाया जाएगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. गोपालचन्द्र बरीक पुत्र कार्तिक बरीक निवासी बलियापाल हाशिमपुर उड़ीसा, हाल पता बिग ब्वायज पैकर्स एण्ड मूवर्स **12** लोकेश रेड्डी सदर बंगला मेन रोड ओडी गली सदर मंगला बस स्टाफ बैंगलोर कर्नाटका।

बरामदगी-

1. किंग साइज बेड, सोफा, टीवी, एसी, झुला, वासिंग मशीन, टेबल, स्कूटी, बाईक व अन्य घरेलु सामान कीमत **20** लाख रूपये।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

निरीक्षक सौरभ राय, क्राइम ब्रान्च मऊ, उ0नि0 रंजीत विश्वकर्मा, आरक्षी संतोष कुमार, रंजीत कुमार गुप्ता थाना कोतवाली मऊ।